(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)
अनवान
श्री सज्जन सोडानी, निवासी बिगोद, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीललवाडा
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) जिला भीलवाड़ा
प्रकरण संख्या :– **49 / 2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12–02–2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 05–08–2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12–09–2024 को प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि जरिये पत्रांक 20180 दिनांक 26–11–2024 से प्रत्युत्तर प्रेषित कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी / प्रार्थी के आवेदन पत्र से वांछित सूचना की एक प्रति अपीलार्थी / प्रार्थी को भी प्रेषित की जा चुकी है। 4. अपीलार्थी ने अपने लिखित जवाब में यह अंकित किया कि प्रार्थी / अपीलार्थी के आवेदन को लोक सुचना अधिकारी द्वारा गलत ढ़ग से अन्तरण कर धोखाधड़ी की है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना किसी भी धारा में बाधित नहीं है। इस सम्बंध में राज्य सूचना आयुक्त जयपुर द्वारा अपील संख्या 1676 / 2010 में पारित निर्णय दिनांक 08–11–2010 का भी अपने लिखित जवाब में हवाला दिया किन्तु उक्त न्यायिक दृष्टांत की प्रति अपने लिखित जवाब में वर्णित कथनों की ताईद में प्रस्तुत नहीं की है। 5. अपीलार्थी की ओर से वक्त सुनवाई कोई उपस्थित नहीं। 6. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा जरिये पत्रांक 20140 दिनांक 29–08–2024 से अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं की विशिष्टियां स्पष्ट नहीं होने तथा प्रश्नात्मक सूचना होने से उक्त आवेदन में उल्लेखित सूचना को अदेय होना मानते हुए प्रार्थी को बिन्दूवार टिप्पणी से अवगत करा दिया। किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग से सम्बंधित कोई सूचना अपीलार्थी / प्रार्थी को दिया जाना अभिलेख पर नहीं है। 7. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से चाही गई है पॉचों बिन्दूओं की सूचनाओं के प्रथम दृष्टया अवलोकन पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना सम्बंधी विशिष्ठियॉ तो अपने आवेदन में स्पष्ट अंकित है तथा उक्त सूचना प्रश्नात्मक तो नहीं है। किन्तु उक्त सूचनाएं संकलित कर प्रदान करने से सम्बंधित है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह विभिन्न सूचनाओं का संकलन कर आवेदक को भेजे। विभिन्न पत्रावलियों में उपलब्ध सामग्री से कुछ तथ्यों की खोजकर	

जिला कलक्टर

आवेदकों को ऐसे खोजे गये तथ्यों/ सूचनाओं को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात किसी आवेदक को प्रस्तुत करने के लिए लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है।

8. लिहाजा अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें।
10. पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।
11. निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 12—02—2025 को जारी किया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा